



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 920]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2017/कार्तिक 19, 1939

No. 920]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2017/KARTIKA 19, 1939

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2017

**सा.का.नि. 1382(अ).**—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार **आन्ध्र प्रदेश** सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2017 कहा जा सकेगा
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016, अनुसूची II में,—
  - तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों से संबंधित भाग क में, प्रथम कॉलम में आने वाली **"आन्ध्र प्रदेश"** प्रविष्टि तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

**"आन्ध्र प्रदेश"**

मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
सरकार के अपर मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
सरकार के अपर मुख्य सचिव, कृषि	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
प्रधान सचिव/प्रधान सचिव-सह-आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
सरकार के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सरकार के सचिव सह-आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

(ख) वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों से संबंधित भाग ख में, तालिका में आन्ध्र प्रदेश के अधीन आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,—

“सीसीएलए के सचिव
समाहर्ता एवं जिला अधिकारी
संयुक्त समाहर्ता
पीओ, आईटीडीए/पीडी, डीआरडीए/सीईओ, जेडपी
संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त, व्यवसायिक कर
मुख्य राशन अधिकारी
निदेशक
सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव”

[फ़ा. सं. 11031/03/2016-अ.भा.से.-II (ख)]

ज्योत्सना गुप्त, अवर सचिव

**टिप्पणी :** प्रधान नियम, तारीख 08 सितम्बर, 2016 की सा.का.नि. सं. 870(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या तथा तारीख को संशोधित किए गए:—

क्रम सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1	1062 (अ)	10.11.2016
2	1178 (अ)	27.12.2016
3	1194 (अ)	30.12.2016
4	575 (अ)	12.06.2017

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2017

**G.S.R. 1382(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Andhra Pradesh** hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely:—

- (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Second Amendment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,—
  - in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry “Andhra Pradesh” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

**“Andhra Pradesh**

Chief Secretary to the Government of Andhra Pradesh	Level 17 in the pay matrix
Additional Chief Secretary to Government	Level 17 in the pay matrix
Additional Chief Secretary to Government, Agriculture	Level 17 in the pay matrix
Principal Secretary/ Principal Secretary-cum-Commissioner	Level 15 in the pay matrix
Secretary to Government	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Government-cum-Commissioner	Level 14 in the pay matrix”

- (b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Andhra Pradesh the following shall be substituted,—

“Secretary to CCLA
Collectors & District Magistrates
Joint Collectors
PO, ITDA/PD, DRDA/CEO,ZP
Joint Commissioner/ Deputy Commissioner-Commercial Taxes
Chief Rationing Officer
Directors
Additional./Joint/ Deputy Secretaries to Government”

[F. No.11031/3/2016-AIS-II(B)]

JYOTSNA GUPTA, Under Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 870(E) dated the 8<sup>th</sup> September, 2016 and subsequently amended by the following G.S.R. No. and date:—

Sl.No.	GSR No.	Date
1.	1062 (E)	10.11.2016
2.	1178(E)	27.12.2016
3.	1194(E)	30.12.2016
4.	575(E)	12.06.2017